कृषि नवाचार

ISSN: 3048-6092
https://www.krishinavachar.in
खण्ड 02 भाग 08 नवम्बर, 2025

कृषि विभाग द्वारा जारी कृषि यंत्रों की बुकिंग/आवेदन हेतु विज्ञापन या नियमावली

मनोज कुमार [1*], सागर कुमार [2], कु. निकम कुमारी [3] और आँचल [4]

[1]सहायक विकास अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, विकास खण्ड कौड़िहार, प्रयागराज 229412, उत्तर प्रदेश, भारत

[2]पी जी स्टूडेंट, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन विभाग, नैनी कृषि संस्थान, सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज 211007, उत्तर प्रदेश, भारत

[3]पीएचडी स्कॉलर, अन्न तंत्र महाविद्यालय, वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी 431402, महाराष्ट्र

[4]एमबीबीएस स्टूडेंट, ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उलित्सा सोवेत्सकाया, ट्वेर, ओब्लास्ट, रूस 170100

***E-mail: manojagric@gmail.com**

कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्वरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ, क्रॉप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना इत्यादि पर अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

कृषि यंत्र

लेजर लैण्ड लेवलर, पौटैटो प्लान्टर, पोटैटो डिगर, हैरो, कल्टीवेटर, मल्टीक्रीप प्रेसर, पावर चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, मिनी राइस मिल, ऑइल मिल विद फिल्टर प्रेस, रोटावेटर, ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रैयर, पावर टीलर, पावर वीडर, कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर एसएमएस, फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग इत्यादि यंत्रों की बुकिंग/आवेदन विभागीय पोर्टल की वेबसाईट- https://agriculture.up.gov.in/ यत्र पर अनुदान टोकन निकालने हेतु लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकास खण्डवार की जाएगी।

फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यंत्र क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर माउन्टेड सेल्फ प्रॉपलेड, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, हाइड्रोलिक रिवसेबुल एमबी प्लाऊ, रीपर कम बाइण्डर एवं सुपर सीडर की बुकिंग/आवेदन विभागीय पोर्टल की वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर यत्र पर अनुदान टोकन निकालने हेतु लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन जनपदवार की जाएगी।

मोबाइल नम्बर का उपयोग

आवदेन हेतु बुकिंग किये जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नम्बर बंद होगा तो नये मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा।

आवेदक द्वारा एक मोबाइल नम्बर अपना अथवा अपने परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य (माता, पिता, माई, बहन, पुत्र पुत्री एवं पुत्र वधू) के मोबाइल नम्बर से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी।

नए पोर्टल पर बुकिंग हेतु कृषक के पंजींत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा यदि कृषक पंजीकरण में कृषकों का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है अथवा उपलब्ध नहीं है तो कृषक द्वारा स्वयं अपने आधार पंजींत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है।

कृषि ड्रोन बुकिंग

कृषि ड्रोन (सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल मैकनाइजेशन) एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर (इन-सीटू) की बुकिंग/आवेदन कृषि विभाग के नव विकसित दर्शन पोर्टल की वेबसाइट https://agridarshan.up.gov.in/ पर बुकिंग प्रारंभ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन की जाएगी।

एक कृषक परिवार हेतु कृषि यंत्रों हेतु अनुदान की अनुमन्यता

रु 10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग प्रक्रिया एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन

योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किसी दो कृषि यंत्रों हेतु ही अनुदान अनुबन्ध होगा। दो कृषि यंत्रों के अतरिक्त सम्बन्धित को ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य कृषि यंत्रों हेतु अनुदान की अनुमन्यता नहीं होगी।

एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ, क्रॉप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत एक अथवा एक से अधिक भिन्न प्रकार के फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों हेतु अनुदान की अनुमन्यता होगी।

कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक परियोजना अनुदान की धनराशि

समस्त प्रकार के कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम डायरिंग सेन्टर परियोजना लागत रु 10 लाख हाई टेक हब फार कस्टम हायरिंग परियोजना लागत रु 100 लाख पर अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान। फार्म मशीनरी बैंक परियोजना लागत रु 10 लाख एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर (इन-सीटू योजना परियोजना लागत रु 30 लाख पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान।

कस्टम हायरिंग सेन्टर/हाई टेक हब फार कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक बुकिंग

कस्टम हायरिंग सेन्टर/ हाई टेक हब फार कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर क्षेत्र को कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बाण्ड भी भर कर देना होगा।

कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ)

हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ) का इस विज्ञापन दिनांक से कम्पनी/सोसाइटी एक्ट में कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीत विभाग के एफ पी ओ शक्ति पोर्टल पर पंजीत एवं सक्रिय होना तथा सदस्य अंशधारको की न्यूनतम संख्या 100 होना अनिवार्य है।

कृषि स्नातक (एग्री जंक्शन) एवं ग्रामीण उद्यमी को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण

कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण हेतु कृषि स्नातक एवं ग्रामीण उद्यमी को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रय करने पर यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु 5 लाख जो भी कम हो देय होगा तथा एफपीओ को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रय करने पर यंत्रों के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु 4 लाख जो भी कम हो देय होगा।

सेल्फ हेल्प ग्रुप

योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों हेतु कृषक सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजीएस) जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) एवं कृषि विभाग से हो तथा कृषक उत्पादक संगठन लाभार्थी होंगे।

ई-लॉटरी

इच्छुक लाभार्थियों/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से विकास खण्डवार वार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों का जनपदवार आवंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

ई-लॉटरी हेतु स्थल तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को सम्बन्धित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा। लक्ष्य अवशेष न सहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषकों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी।

ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की दशा में अवषेश लक्ष्यों के सापेक्ष ई-लॉटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

टोकन बुकिंग धनराशि

रु 10001 (दस हजार एक) से रु 10,0000 (एक लाख) तक अनुदान के कृषि यन्त्रों हेतु बुकिंग धनराशि रु 2500 होगी। रु 10,0000 (एक लाख) से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि रु 5000 होगी।

अभिलेख अपलोड करने अवधि

लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र कम कर विभागीय पोर्टल पर कय रसीद यंत्रों की फोटो व सीरियल नम्बर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब फार कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जाएगा।

उपयंत्र ट्रैकिंग

निर्धारित मानक के यंत्रों को https://upyantratracking.in/home पोर्टल पर पंजीत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इनवेंटरी में से किसी से भी क्रय करने की स्वतन्त्रता होगी। निर्धारित समयावधि में यंत्र क्रय कर कृषि विभाग के पोर्टल पर बिल अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन स्वत निरस्त हो जाएगा तथा बनाई गयी प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वत चयनित हो जाएगा।

ISSN: 3048-6092
https://www.krishinavachar.in
खण्ड 02 भाग 08 नवम्बर, 2025

50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान

कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

अशिक्षित कृषकों हेतु

ऐसे कृषक जो साक्षर नहीं है जिन्हें चेक बुक जारी नहीं हो सकता है. ऐसे कृषक लाभार्थी अपने परिवार के ब्लड रिलेशन (माता, पिता, भाई बहन (अविवाहित), पुत्र, पुत्री (अविवाहित) एवं पुत्रवधू) के खाते से कृषि यंत्रों के क्रय हेतु यंत्र लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

शासनादेश

प्रक्रिया में शासनादेश कृषि यंत्र अनुदान वितरण संख्या-03/2024/717/12-2-2024-10006)/2014 दिनांक 08.07.2004 का परिपालन किया जाएगा।

निष्कर्ष

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले कृषि अनुदान योजनाएँ राज्य में कृषि विकास और किसान कल्याण को मजबूती प्रदान करती हैं। इन अनुदानों का मुख्य उद्देश्य आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नत किस्मों, सचाई सुविधाओं, संरक्षण खेती, यंत्रीकरण तथा अन्य नवीन तकनीकों को किसानों तक पहुँचाना है। अनुदान के माध्यम से किसानों की लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है और खेती अधिक लाभकारी बनाती है।

●●●